31 मई, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 46वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 46.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	प्यूथेंक्रुज गांव, कुन्नथूनाडु तालुक, एर्नाकुलम जिला और कक्कानाड गांव, कन्यान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल	आईटी / आईटीईएस	46.3773	हां	हां	केरल राज्य में चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया।
ii.	कर्नाटक आद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	गमनगट्टी, हुबली तालुक, धारवाड़ जिला, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	12.15	हां	हां	नया
iii.	मैसर्स भुवन कम्फर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	बी एम कवल एवं रचनामाडू गांव, केंगेरी होबली, बंगलौर, कर्नाटक	इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस	12.4	हां	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 46.2 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स मार्ग डिजीटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

चेयूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 121.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 23 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स मार्ग डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.114 हेक्टेयर का विकास करने, प्रचालन करने और अनुरक्षण करने (बेयर शेल बिल्डिंग को वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तित करने के लिए) के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 18 फरवरी, 2011 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सह विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ii) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पुथव्यपीन, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 285.8413 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में थुव्यपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में विकसित पोर्ट आधारित एसईजेड 02 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए भंडारण की सुविधाओं के विकास, इंटरकनेक्टिंग पाइप लाइन बिछाने और एक इनलैंड एलपीजी कंटेनर (टैंकर) स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त एसईजेड में सह विकासक हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार नहीं हुआ था। सह विकासक ने अब सह विकासक करार दिनांक 21 जनवरी, 2011 उपलब्ध कराया है (अनुबंध1)। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। इसलिए अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: प्रस्तुत है।

(iii) मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हैदराबाद इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड के अंग के रूप में टावर एच01ए और एच08 के प्रचालन एवं अनुरक्षण के साथ अपेक्षित इंटीरियर, अवसंरचना में निवेश एवं विकास के लिए 1.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हैदराबाद इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थिगत कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार है :

"राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने टिप्पणी की कि सह विकासक करार से ऐसा प्रतीत होता है कि विकासक इस संपत्ति पर अपने सभी अधिकारों को प्रतिसंहार्य रूप से सौंप रहा है। इसके अलावा सह विकासक ने पट्टा करार की प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि पट्टा करार की जांच किए जाने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित हो कि यह लेनदेन भूमि की बिक्री नहीं है, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुसार निषिद्ध है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को पट्टा करार की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।"

अब इस मामले में विकास आयुक्त, वीएसईजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने संशोधित सह विकासक करार दिनांक 7 अप्रैल 2011 तथा प्रारूप पट्टा विलेख भी अग्रेषित किया है (सह विकासक का दर्जा अनुमोदित हो जाने के बाद पट्टा विलेख का पंजीकरण कराया जाएगा)। विकास आयुक्त ने यह कहते हुए प्रस्ताव की सिफारिश की है कि सह विकासक करार तथा प्रारूप पट्टा विलेख नियमानुसार हैं। सह विकासक करार एवं प्रारूप पट्टा विलेख के साथ विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iv) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का अनुरोध (25 मार्च, 2011 आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में कौशल विकास केन्द्र, उद्योग उन्मुख अनुसंधान केन्द्र तथा पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन उद्योग सहित अन्य ऊर्जा क्षेत्र को शामिल करते हुए मानव संसाधन विकास के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए दाहेज एसईजेड में 5 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (पीडीपीयू) के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार है :

अनुमोदन बोर्ड ने पाया कि विश्वविद्यालय का दर्जा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने विश्वविद्यालय के सरकारी / निजी होने के संबंध में विकास आयुक्त, केएएसईजेड से स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग की तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड को विश्वविद्यालय के स्टेटस की पुष्टि करने तथा अनुमोदन बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। तद्नुसार विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रधान सचिव, ऊर्जा एवं पेट्रो रसायन विभाग, गुजरात सरकार ने अपने पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2011 के माध्यम से सूचित किया है कि गुजरात को राष्ट्र के पेट्रोलियम एवं पेट्रोरसायन केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान गुजरात सरकार द्वारा डीपीडीयू की परिकल्पना की गई। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एमओयू पर 29 सितंबर 2003 को हस्ताक्षर किए गए। इसे बाद ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग, गुजरात सरकार ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए "पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 नामक एक विशेष अधिनियम निष्पादित किया है। ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग, गुजरात सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान की जा रही है। सचिव, ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा सचिव, शिक्षा विश्वविद्यालय के शासी बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने पीडीपीयू को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) मधुरवाडा, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स माइटेक सॉफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड का अनुरोध (25 मार्च, 2011 आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

25 मार्च 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1.30 एकड़ के क्षेत्रफल में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स माइटेक साफ्टवेयर (प्राइवेट) लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार है :

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने बताया कि हालांकि 26 मार्च 2009 को पट्टा करार निष्पादित किया गया है, सह विकासक करार काफी समय बाद 29 नवंबर 2010 को निष्पादित किया गया जिससे संदेह उत्पन्न हो रहा है कि पट्टा करार निष्पादित करने का उद्देश्य मैसर्स माइटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यूनिट स्थापित करना है या नहीं। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, वीएसईजेड को यह

सुनिश्चित करने के लिए पट्टा करार की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया कि इस पट्टा के माध्यम से पट्टाधारी (प्रस्तावित सह विकासक) को पट्टाकर्ता (अर्थात विकासक) द्वारा मूलत: किन गतिविधियों के लिए अधिकृत किया गया है। तदनुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने बताया है कि पट्टा करार के अनुसार विकासक ने एक आईटी / आईटीईएस एसईजेड यूनिट की स्थापना एवं प्रचालन के लिए मैसर्स माइटेक साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल) को 1.3 एकड़ भूमि आवंटित की है। यूनिट को एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए 7 जनवरी 2009 को एलओए प्रदान किया गया। एमएसपीएल ने सूचित किया है कि केबल विनिर्माण प्रक्रिया को स्वचालित बनाने के लिए साफ्टवेयर समाधान प्रदान करने के लिए उनके पास विशेषज्ञता है तथा उनके पास अपने ग्राहक के रूप में विश्व में लगभग 7 से 10 शीर्ष केबल विनिर्माता हैं। वे उनकी व्यवसाय प्रक्रिया तथा उनकी ईआरपी प्रणालियों की सहायता के लिए अपने ग्राहकों के साथ काम करते हैं।

विकासक ने एमएसपीएल को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ माइटेक द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार 1,30,000 वर्गफीट के कार्य स्थान का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी है जबकि माइटेक की अपनी आवश्यकताएं केवल 500000 वर्गफीट के लिए हैं। इसलिए माइटेक व्यवसाय के अपने क्षेत्र में अन्य आईटी / आईटीईएस कंपनियों को अतिरिक्त 80000 वर्गफीट को पट्टा पर देना चाहता है जहां उन्होंने साझेदारी स्थापित की है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने एमएसपीएल को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) शोलिंगानल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

शोलिंगानल्लूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 152.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में 8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के अंदर सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 6 अक्टूबर, 2010 भी उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

607.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने पोर्ट के विकास के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फेंडर, बोलार्ड क्रेन रेल के साथ शोर के समानांतर कंटेनर बर्थ	3	24508.33	73525
2.	कंटेनर फ्रेट स्टेशन	1	102000	102000
3.	ओपन स्टाक यार्ड	1	180000	180000
4.	कार स्टाक यार्ड	1	30000	30000
5.	अन्य बर्थ	2	25000	50000
6.	गेट कम्प्लेक्स एंट्री एवं एग्जिट	1	3000	3000
7.	शोर प्रोटेक्शन बंड	1	12500	12500
8.	ब्रेकवाटर और बर्थ के बीच कनेक्टिंग प्लेटफार्म	1	2000	2000
9.	कंट्रोल टावर, पंप हाउस, टिपिकल सिक्योरिटी, पीएंडएम वर्कशाप के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग	7	1021.50	7150
10.	अन्य यूटिलिटी - ईंधन का सब स्टेशन, क्वे, रिसीविंग यार्ड तथा वर्कशाप पार्किंग बे, तुला सेतु, पार्किंग एरिया, वाटर टैंक और वाशिंग एरिया	9	2888.89	26,000
11.	आंतरिक संपर्क के लिए सुविधाएं (किलोमीटर में)	1	30 किलोमीटर	30 किलोमीटर

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) वागरा, जिला भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

1704.37.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स ओपीएएल को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यूनिट ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	हेलीपैड	1	लागू नहीं	44.3 मीटर x 44.3 मीटर

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने बताया है कि प्लांट अत्यधिक दहनशील क्रायोजेनिक द्रव हैंडल करेगा। जोखिम के अलावा भौतिक संपर्क या फैलाव बड़ा कार्मिक एवं उपकरण के लिए बड़ा संकट है। ऐसी स्थिति में आपातकालीन निकास के लिए यूनिट ने हेलीपैड का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है जो सभी प्रकार के हेलीकाप्टर को हैंडल करने में सक्षम होगा। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

18.86858 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 4.8817 हेक्टेयर और 2.1601 हेक्टेयर की क्रमश: वृद्धि और कटौती की गई जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.59023 हेक्टेयर हो गया। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल अनुमत क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(प्रतिशत) क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	आवासीय ग्रुप हाउसिंग					
1.	आवासीय - 4 बीआर	70	320	22,400		
2.	आवासीय - 4 बीआर	92	244	22,448		
3.	आवासीय - 3 बीआर	259	174	45,066		60 प्रतिशत
4.	आवासीय - 2 बीआर	169	134	22,646		
	आवासीय ग्रुप हाउसिंग के लिए कुल क्षेत्रफल	590		1,12,560	1,12,565.145	
	वाणिज्यिक					
1.	रिटेल कामर्सियल	लागू नहीं	लागू नहीं	28,138		15 प्रतिशत
	वाणिज्यिक गतिविधि के लिए कुल क्षेत्रफल	28,138	28,141.286			
	सामाजिक					
1.	सामाजिक - क्लीनिक	1	14,268	14,268		25

2.	सामाजिक - क्लब	1	14,268	14,268		प्रतिशत
3.	सामाजिक - शैक्षिक संस्थान	1	18,352	18,352		
	सामाजिक के लिए कुल क्षेत्रफल	3		46,888	46,902.143	
	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कुल क्षेत्रफल			1,87,586	1,87,608.575	

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स गोल्डसॉक इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.4550 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 दिसंबर, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	वास्तविक एफएआर (वर्गमीटर में)	एनपीए एरिया का प्रतिशत
आवासीय (अनुमत एफएआर - 54575.85)					
1.	1 बीएचके	234	74	17316	60
2.	2 बीएचके	176	118	20768	
3.	3 बीएचके	116	142	16472	
क	आवासीय के लिए कुल क्षेत्रफल	526	---	54556	
वाणिज्यिक (अनुमत एफएआर - 13643.96)					
1.	रिटेल (30 प्रतिशत)	1	---	4123.96	15
2.	स्टूडियो / सर्विस अपार्टमेंट (70 प्रतिशत)	238	40	9520	
ख	वाणिज्यिक गतिविधि के लिए कुल क्षेत्रफल	238	---	13643.96	
संस्थानिक (अनुमत एफएआर - 12994.25)					
1.	स्कूल	1	---	4250	25
2.	प्रशिक्षण एवं प्रबंध केंद्र	1	---	4250	
3.	सम्मेलन / प्रदर्शनी केंद्र	1	---	2247	
4.	आवासीय क्लब / मनोरंजन केंद्र / सामुदायिक केंद्र	1	---	2247	
ग	संस्थानिक के लिए कुल	-	-	12994	100

	क्षेत्रफल				

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 10.0964 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम एवं मंडल कंडुकुर, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस2टेक.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.0964 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है कि संशोधित व्यवसाय योजनाओं तथा बाजार की वर्तमान स्थितियों के आकलन के अनुसरण में कंपनी का यह मानना है कि इस समय वर्तमान लोकेशन पर इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस सेक्टर में एसईजेड स्पेस के लिए कोई मांग नहीं है और इसलिए एसईजेड को विमुक्त कराने का निर्णय लिया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड में अभी तक निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) खापरदा, जोधपुर, राजस्थान में 120.689 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

130.689 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 07 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 19 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के 131 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई थी। 6 अक्टूबर, 2010 को 10 हेक्टेयर का क्षेत्रफल विमुक्त किया गया जिससे हस्तशिल्प एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 120.689 हेक्टेयर हो गया।

अब विकासक ने बताया है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद राज्य सरकार ने एसईजेड के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन प्रदान नहीं किए हैं। इसके अलावा मैट प्रावधान के तहत एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों पर कर लगाने के संबंध में बजट 2011 में प्रस्तावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हस्तशिल्प एसईजेड में आने वाली यूनिटों के लिए कोई लाभ नहीं बचा है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत कोई ड्यूटी फ्री लाभ / रियायत प्राप्त नहीं की गई है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि इस एसईजेड से एक भी यूनिट प्रचालन नहीं कर रही है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तोटलाकोंडा हिल्स, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) का अनुरोध

20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 01 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वायरलेस प्रचालन के लिए उपयुक्त होने के कारण वायरलेस एक्सपेरीमेंटल यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि भारतीय नौसेना को हस्तांतरित कर दिया है। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने एपीआईआईसी के पक्ष में 50 एकड़ की वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है जिसे एसईजेड की स्थापना लिए एससीएसएल को आवंटित किया जाएगा, तथापि एससीएसएल को भूमि अभी तक सौंपी नहीं गई है। उपर्युक्त स्थिति तथा वैकल्पिक भूमि के आवंटन में विलंब को ध्यान में रखते हुए विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि तकनीकी दृष्टि से ऐसे क्षेत्र के लिए एसईजेड स्टेटस को धारण करना मान्य नहीं है जिसे अब सरकार द्वारा भारतीय नौसेना को आवंटित कर दिया गया है। विकासक ने पुष्टि की है कि एसईजेड में निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है और इसलिए कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) अतिरिक्त यवतमाल एमआईडीसी क्षेत्र, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र में 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 अगस्त, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 25 फरवरी, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के 100 हेक्टेयर को घटाने के लिए मंजूरी प्रदान की थी जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 108 हेक्टेयर हो गया। तथापि, विकासक द्वारा ड्यूटी लाभों को वापस करने के संबंध में विकास आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण क्षेत्रफल में कटौती की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि उपर्युक्त एसईजेड के विकास के लिए सह विकासक की तलाश करने के उद्देश्य से बोली प्रक्रिया शुरू की गई थी। तथापि, वैश्विक मंदी तथा इच्छुक अवसंरचना विकासकों से रिस्पांस न मिलने के कारण परियोजना को लागू नहीं किया जा सका। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि भी 22 जून 2010 को समाप्त हो चुकी है क्योंकि विकासक ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया था। महाराष्ट्र सरकार ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने भी विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.5 : अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) येदशी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में चमड़ा उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदान की गई सैद्धांतिक मंजूरी को वापस लेना

एमआईडीसी को एलओए दिनांक 3 जुलाई, 2007 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने भूमि अधिग्रहण से

संबंधित समस्याओं के कारण सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 जुलाई, 2008 से समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा, विकासक ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया था।

सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए अनुमोदन को वापस लेना

मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में प्रासंगिक यूटिलिटीज तथा कार पार्किंग के लिए 3 भवनों तथा बेसमेंट के अतिरिक्त क्षेत्र में फैले 3.85 लाख वर्ग फीट के सुपर स्ट्रक्चर एरिया का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए सह विकासक बनने के लिए एलओए दिनांक 19 फरवरी, 2010 के माध्यम से अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब सह विकासक ने यह कहते हुए सह विकासक का दर्जा वापस लेने के लिए अनुरोध किया है कि 1 मार्च 2011 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में कंपनी के प्रबंधन ने परियोजना का विकास न करने का निर्णय लिया है। विकासक ने भी अनुमोदन को वापस लेने के लिए सह विकासक के अनुरोध पर अपनी अनापत्ति से अवगत कराया है।

अनुमोदन को वापस लेने के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.6 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) गंगईकोंडन गांव, तिरुनवेली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 76.893 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 117.37 हेक्टेयर हो जाएगा। ईएलसीओटी द्वारा क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए बताया गया कारण यह है कि अपना आईटी व्यवसाय आरंभ करने तथा सह विकासक बनने के लिए मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को 100 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रफल कम पड़ रहा है। विकासक ने बताया है कि 40.48 हेक्टेयर के पहले से अधिसूचित क्षेत्रफल में उन्होंने सभी अवसंरचनाओं का विकास किया है तथा 50000 वर्गफीट के स्थान का निर्माण किया है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न आईटी / आईटीईएस कंपनियों को 99 साल के पट्टा के आधार पर भी भूमि आवंटित की है ताकि वे अपना आईटी व्यवसाय शुरू कर सकें।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित 76.893 हेक्टेयर की भूमि खाली है तथा मौजूदा एसईजेड से सटी हुई है। इसलिए विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) चंडाक औद्योगिक संपदा, पीएस चंद्रशेखरपुर, तहसील भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, उड़ीसा में अधिसूचित आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए उड़ीसा अवंसरचना विकास निगम (इडको) का अनुरोध

69.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ऊपर उल्लिखित आईटी एसईजेड 18 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, विकासक को एक अतिरिक्त गेट लगाने के लिए 1.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 70.81 हेक्टेयर हो गया। तथापि, विकासक ने अधिसूचित अतिरिक्त भूमि अभी तक प्राप्त नहीं की है।

अब विकासक ने बताया है कि कुछ यूनिटों अर्थात परफेक्टस टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एसटीजी चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, जेनपैक्ट इनफ्रास्ट्रक्चर (भुवनेश्वर) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैर निष्पादन / गतिविधियों के अभाव के कारण उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा इन यूनिटों का भूमि आवंटन तथा उनका एलओ भी निरस्त कर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि न तो इडको ने और न ही इनमें से किसी अन्य यूनिट ने राज्य सरकार या भारत सरकार से कोई रियायत प्राप्त की है। विकासक ने यह भी बताया है कि स्थान की उपलब्धता को देखते हुए अब दूसरे फाटक की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए 1.66 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, 1.66 हेक्टेयर के उपर्युक्त क्षेत्रफल जो अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है, के अतिरिक्त अब विकासक ने एसईजेड से 10.10 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 59.05 हेक्टेयर हो जाएगा। निष्पादन न करने वाली यूनिटों द्वारा भूमि आवंटन के निरसन के बाद उपलब्ध होने वाले क्षेत्रफल में 10.10 हेक्टेयर का क्षेत्रफल शामिल है। विकासक ने बताया है कि एसईजेड के निर्धारित क्षेत्र में एसईजेड यूनिटें प्राप्त करने में अड़चनों को ध्यान में रखते हुए भूमि का उपयोग एसईजेड से भिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

विकासक ने बताया है कि कटौती के लिए आवेदित क्षेत्रफल में कोई निर्माण / वाणिज्यिक गतिविधि आरंभ नहीं हुई है। इसलिए विमुक्त की जाने वाली भूमि के संबंध में ड्यूटी लाभ तथा कर छूट प्राप्त नहीं की गई है।

विकासक ने एसईजेड से 11.76 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि 11.76 हेक्टेयर भूमि में से केवल 10.10 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित हुई है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड को 10.10 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण तथा अधिसूचित एसईजेड में 1.66 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि के लिए 13 जुलाई 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन को निरस्त करने पर विचार करना है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.7 : औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

i. **दुर्गापुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद बढ़ाने**

के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

ii. हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एफटीडब्ल्यूज़ेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (एचएफटीडब्ल्यूपीएल) का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

iii. ग्राम जागीर अम्मापालायम, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

iv. वाडापालनजी गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

v. विश्वनाथपुरम गांव, होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

vi. नवलपट्टू गांव, त्रिचिरापल्ली तालुक, त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

vii. इलांदैकुलम गांव, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

viii. केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हासन विकास केंद्र, तालुक एवं जिला हासन, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

ix. प्लाट नंबर 001, सेक्टर 140ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 फरवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सर्व मंगल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

x. राजस्व गांव बाबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अप्रैल, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

xi. **भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 05 **फरवरी**, 2011 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डसौक इंटरनेशनल जेमस्एंड ज्वैलरी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

xii. **कल्याणगध और गंगड गांव, बावला तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 16 **अप्रैल**, 2011 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स दिशमन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

xiii. **पावला खुशरूपुर गांव, सेक्टर** 106, **गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 25 **जून**, 2011 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एयरमिड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध**

xiv. **रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 16 **मार्च**, 2011 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध**

xv. **आदिबाटला गांव, इब्राहितपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 जनवरी, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉगनिजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

मद संख्या 46.8 : औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

विकासक को एलओए दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से 30.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(ii) विलानकुरिची, कोयंबटूर उत्तर तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

विकासक को एलओए दिनांक 16 जून, 2006 के माध्यम से 11.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 16 अप्रैल, 2008 को 10.84 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल लगभग 22.60 हेक्टेयर हो गया।

विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 15 जून, 2010 तक वैध था। विकासक ने सूचित किया है कि इस एसईजेड में उन्होंने सभी कार्य जैसे कि सड़क, चारदीवारी, पुलिया, स्ट्रीट लाइट का कार्य पूरा कर लिया है। इसके सह विकासक ने भी 1.7 मिलियन वर्गफीट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है जो अधिभोग के लिए तैयार है। विकासक ने बताया है कि वे प्रशासनिक ब्लाक, संप, वाटर लाइन के निर्माण कार्य के लिए ड्यूटी फ्री देशी सामग्री तथा आयात की जाने वाली सामग्री के लिए सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(iii) पुथुवयुपीन, एर्नाकुलम जिला, केरल में पोर्ट आधारित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 अप्रैल, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

विकासक को एलओए दिनांक 18 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 285 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 285.8413 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 17 अप्रैल, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि अवसंरचना को पूरा करने तथा यूनिटों का प्रचालन आरंभ करने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने भी वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

(iv) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा (पहले एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से 101.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 8 जून 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को एसईजेड का सेक्टर "एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद" से बदलकर "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के साथ बहु सेवा" करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि परियोजना के लिए काफी तैयारी तथा वित्तीय विश्लेषण की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर साझेदारी स्थापित करने के लिए ध्यान से मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता होगी जिसमें काफी लीड टाइम शामिल होगा। इसके अलावा निम्नलिखित गतिविधियों में भी समय लगेगा : (i) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र स्थापित और संचालित करने में मदद के लिए वित्तीय उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों को शामिल करके उच्च स्तरीय समिति का गठन (ii) ग्लोबल टेरीटरी रेफरल हॉस्पिटल के लिए व्यवसाय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में साझेदारी से संबंधित चर्चा पूरी हो जाएगी (iii) सम्मेलन केन्द्र के लिए संभाव्यता अध्ययन पूरा करने के अलावा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी केन्द्र की सहायता के लिए अपेक्षित अतिथि सत्कार अवसंरचना की संभाव्यता का मूल्यांकन करने की

भी आवश्यकता होगी। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) खोपोली, दहीवाली गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 11.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 14.43.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 मार्च, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि वैश्विक मंदी के बाद निर्यात मांग के लिए सकारात्मक रिस्पांस दिखाई दिया है और अब आईटी कंपनियों के लिए व्यवसाय पूछताछ का सृजन होना आरंभ हो गया है तथा उन्होंने विपणन एवं संवर्धन की गतिविधियां शुरू कर दी है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) खोपोली, देवनहावे गांव, खालापुर तालुक, रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.719 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने विपणन एवं संवर्धन की गतिविधियों के लिए विज्ञापन दिया है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। एसईजेड क्षेत्र की चारदीवारी के सीमांकन एवं फेंसिंग का कार्य चल रहा है। विकासक ने यह भी बताया है कि वे मास्टर प्लान तैयार करने के लिए वास्तुकार, परामर्शदाता तथा लैंड स्केपिंग कंसल्टेंट की नियुक्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं तथा शीघ्र ही यह राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) आरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रू डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 11.585 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.504 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 29 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के रूप में बाजार की खराब हालतों का उल्लेख किया है। विकासक ने बताया है कि वे कम से कम एक यूनिट स्थापित करके एसईजेड को क्रियाशील बनाना चाहते हैं जो 2012 तक क्रियाशील हो जाएगी। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) कल्लाहल्ली और कतवाडीपुरा गांव, नंजनगुड तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2007 के माध्यम से 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 13.345 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 21 जून, 2010 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 अगस्त, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना में अब तक 13.50 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है : - (i) वैश्विक मंदी तथा आर्थिक मंदी (ii) एसईजेड विकासकों तथा एसईजेड यूनिटों पर मैट और डीडीटी लगाने का प्रस्ताव (iii) एसईजेड योजना में प्रावधानों की अनिश्चितता। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) टिकरी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.041 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 29 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने सूचित किया है कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मास्टर प्लान तथा ड्राइंग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चारदीवारी का निर्माण कर लिया

गया है तथा प्रसंस्करण क्षेत्र पर कार्य शुरू हो गया है। विकासक ने यह भी बताया है कि 2008-09 की वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण विकास कार्य की गति धीमी करनी पड़ी थी। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 100.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 अक्टूबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान तैयार करने, भूखंड का सीमांकन करने, चारदीवारी, भूमि श्रेणीकरण, विपथन रोड, नाला सुधार, सड़क कार्य, एलटी लाइन की शिफ्टिंग तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। विकासक ने यह भी बताया है कि एसईजेड परियोजना के व्यवसाय विकास तथा विपणन पर वैश्विक मंदी का काफी असर हुआ था। उन्होंने यह भी बताया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने औरंगाबाद में किसी पर्यावरणीय स्वीकृति पर विराम लगा दिया था। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब से परियोजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 अगस्त, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2011 तक वैध है। विकासक ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान तैयार करने, भूखंड का सीमांकन करने, चारदीवारी, भूमि श्रेणीकरण, विपथन सड़क तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। विकासक ने यह भी बताया है कि एसईजेड परियोजना के व्यवसाय विकास तथा विपणन पर वैश्विक मंदी का काफी असर हुआ था। उन्होंने यह भी बताया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने औरंगाबाद में किसी पर्यावरणीय स्वीकृति पर विराम लगा दिया था। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विलंब से परियोजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि

दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 30.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 जनवरी, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 मई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया तथा बताया है कि 2008 में कार्य शुरू हुए थे परंतु वैश्विक मंदी के कारण उनको रोकना पड़ा तथा अब ये पुन: शुरू किए गए हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) कोकापेट गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को 47.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 47.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) सावली गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 जून, 2007 के माध्यम से विकासक को 14.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 15.8098 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला

विस्तार प्रदान किया गया है जो 22 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब इसलिए हुआ है क्योंकि किसी भी यूनिट ने निर्माण शुरू नहीं किया है तथा प्लांट एवं मशीनरी नहीं लगाई है। विकास आयुक्त 3 यूनिटों को एलओए प्रदान कर चुके हैं तथा उम्मीद है कि ये यूनिटें एलओए जारी होने की तिथि से 1 साल के अंदर उत्पादन आरंभ कर देंगी। जैव प्रौद्योगिकी पार्क एसईजेड में एसईजेड यूनिट स्थापित करने के लिए स्थान की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए विकासक द्वारा कुल 3 यूनिटों को सहमति पत्र प्रदान किया गया है तथा उम्मीद है कि ये यूनिटें अप्रैल 2011 तक विकास आयुक्त के कार्यालय से एलओए प्राप्त कर लेंगी और जून 2012 तक उत्पादन में आ जाएंगी। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xv) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से 21.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 21.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में असाधारण विलंब, राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितता, मैट एवं डीडीटी लगाए जाने, प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी तथा बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल, पानी, परिवहन एवं पुल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के निर्वहन में विलंब के कारण एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से 38.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 38.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि फरवरी 2011 तक एसईजेड में 81.39 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में

असाधारण विलंब, राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितता, मैट एवं डीडीटी लगाए जाने, प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी तथा बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल, पानी, परिवहन एवं पुल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के निर्वहन में विलंब के कारण एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 22 नवंबर, 2007 के माध्यम से विकासक को 13.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 मार्च, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 21 नवंबर, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि फरवरी 2011 तक एसईजेड में 21.88 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन में असाधारण विलंब, राजकोषीय लाभों के उपलब्ध न होने के कारण यूनिटें स्थापित करने के लिए उद्यमियों से कम रिस्पांस, प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में उपलब्ध प्रोत्साहनों के बारे में अनिश्चितता, मैट एवं डीडीटी लगाए जाने, प्रमुख निर्यात बाजारों में आर्थिक मंदी तथा बाहरी अवसंरचना जैसे कि सड़क, रेल, पानी, परिवहन एवं पुल के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के निर्वहन में विलंब के कारण एसईजेड के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xviii) नारीवली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 मई, 2007 के माध्यम से विकासक को 32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 32.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 मार्च, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 2 मई, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि आर्थिक मंदी के कारण आईटी / आईटीईएस के बाजार को अपेक्षा के अनुरूप नहीं लिया गया है जिससे कंपनी को परियोजना को क्रियाशील बनाने में कठिनाइयां हुई थी। यह भी बताया गया है कि इस समय कंपनी परियोजना के लेआउट को अंतिम रूप दे रही

है तथा साइट को साफ करने तथा चारदीवारी का निर्माण करने का कार्य शुरू हो गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xix) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 जून, 2007 के माध्यम से 1173 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 17 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने विपणन के प्रयास शुरू कर दिए हैं तथा अनुकूल रिस्पांस प्राप्त हो रहे हैं। दो यूनिटों ने अपने अच्छे रिकार्ड के आधार पर एलओए प्राप्त कर लिया है। तथापि, परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xx) ग्राम मुसलगांव तथा गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से 1023.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxi) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 जून, 2007 के माध्यम से 440 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 439.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। 20 नवंबर 2007 को 1.054 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 440.714 हेक्टेयर हो गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने हरियाणा सरकार से मास्टर प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। आरएचएसएल ने विभिन्न एजेंसियों से गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संबंध में अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। तथापि, परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.9 : औपचारिक अनुमोदनों की तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1035.6688 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 जून, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि परियोजना पूर्व गतिविधियों जो शुरू हो गई हैं, को पूरा करने के लिए उसे विस्तार की आवश्यकता होगी। इसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से विचारार्थ विषय के रूप में ईआईए अध्ययन को पूरा करना तथा संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी शामिल होगा। इसके अलावा कंपनी ने रिफाइनरी परियोजना में निवेश के लिए उपयुक्त साझेदार की तलाश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2012 के अंत तक संभावित साझेदारों के साथ अनुबंध हो जाएगा। इसके अलावा एसईजेड के आसपास एक बड़ा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भारत की एक बड़ी विद्युत कंपनी के साथ चर्चा चल रही है और वित्त वर्ष 2012 के अंत तक अनुबंध हो जाने की संभावना है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड को निकटतम हावड़ा - चेन्नई मेन रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की योजना भी चल रही है। इसके अलावा एसईजेड में समालकोट नहर से जलापूर्ति लाने तथा क्षेत्रीय ड्रेनेज पैटर्न, एसईजेड विकास पश्चात परिदृश्य का मूल्यांकन करने और एसईजेड पर बाहरी जल ग्रहण क्षेत्र के प्रभाव तथा बाढ़ उपशमन के आवश्यक उपायों का आकलन करने के लिए आंतरिक अध्ययन भी चल रहे हैं। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 03 अप्रैल, 2006 के माध्यम से विकासक को 108.86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.3101 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 02 अप्रैल, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि बाजार की वर्तमान स्थितियां तथा एसईजेड के लिए प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की अनिश्चितता इसके लिए जिम्मेदार है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स नीट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 24 अगस्त, 2006 के माध्यम से 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 23 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि लगभग 400000 वर्गफीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण हो चुका है जिसमें लगभग 1000000 वर्गफीट के ब्लाक शामिल हैं। दो यूनिटों को एलओए भी जारी किए गए हैं तथा उम्मीद है कि पहली यूनिट 2011 की दूसरी तिमाही तक प्रचालन शुरू कर देगी। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने चिह्नित क्षेत्र के और विकास के लिए एक साल की अगली अवधि के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) ग्राम सिकोहपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 अप्रैल, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स लक्सर साइबर सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 27.07845 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 13 सितंबर, 2010 को 7.90 हेक्टेयर का क्षेत्रफल विमुक्त किया गया। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 06 अप्रैल, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए तीसरी बार वैधता अवधि

बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि बाजार की वर्तमान स्थितियां तथा एसईजेड के लिए प्रत्यक्ष कर व्यवस्था की अनिश्चितता इसके लिए जिम्मेदार है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 28 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.968 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 27 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने बताया है कि 2007 से 2009 की अवधि में आर्थिक मंदी की वजह से परियोजना में ज्यादा निवेश नहीं हो सका। परिणामत: एसईजेड का विकास / निर्माण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और यह निर्धारित अवधि के अंदर पूरा नहीं हो सका। तथापि, पिछले 12-15 महीनों में आर्थिक उत्थान होने की वजह से अब कंपनी उक्त एसईजेड का विकास करने की स्थिति में है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) ए-III, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बढ़ाने के लिए मैसर्स बंगाल शपूरजी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 23 अगस्त, 2006 के माध्यम से 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20.2345 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने एसईजेड के विकास में कंपनी द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया है तथा यह भी सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए 136.73 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) ग्राम ओवाले, चोडबंडर रोड, जिला थाणे, महाराष्ट में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 22.327 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा कहा है कि महाराष्ट्र जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2001 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से संपर्क किया गया है। थाणे नगर निगम को बिल्डिंग प्लान भी प्रस्तुत किया गया है तथा बिल्डिंग प्लान के लिए अनुमोदन प्राप्त होते ही विकास कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(viii) फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.393 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 06 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 30 जुलाई, 2009 को 0.8245 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया था। इससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 11.2175 हेक्टेयर हो गया। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 05 नवंबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि हरियाणा राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) तथा हरियाणा राज्य वन विभाग द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी न किए जाने के कारण परियोजना साइट पर निर्माण की गतिविधियों में विलंब हो रहा है तथा उनके द्वारा इन अनुज्ञप्तियों को जारी करने के लिए कोई समय सीमा भी नहीं दी गई है। इसलिए विकासक ने तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ix) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अगस्त, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 17 अगस्त, 2006 के माध्यम से 113.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 114.8318 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 16 अगस्त, 2011 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 30 अगस्त 2008 को अनुमोदित मास्टर प्लान को उन्होंने इस वजह से प्रमाणित नहीं किया है कि राज्य सरकार ने एसईजेड के रूप में अधिसूचित उनकी भूमि में टोल प्लाज़ा के निर्माण के लिए अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। पंजाब और हरियाणा के माननी उच्च न्यायालय में उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई तथा अभी भी यह न्यायाधीन है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने रेलवे कोरिडोर के निर्माण के लिए अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण में भी रुचि प्रदर्शित की है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(x) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2011 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्राह्मनी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 24 अक्टूबर, 2010 तक वैध है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अक्टूबर, 2011 तक वैध थी। विकासक ने यह कहते हुए तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि बाजार की वर्तमान स्थितियां तथा आईटी / आईटीईएस सेक्टर में मंदी इसके लिए जिम्मेदार है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.10 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	मैसर्स तिरुनेवेली इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (चुनाव के	बहु उत्पाद, 1000 हेक्टेयर	खैटार गांव, तिरूनवेली जिला, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि भूमि के विशाल खंड को प्राप्त करने में

	कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)			कठिनाई तथा भूमि की अधिक लागत के कारण अपेक्षा के अनुसार परियोजना शुरू नहीं हो सकी। इसके अलावा अब वे परियोजना को सक्रियता से आगे बढ़ा रहे हैं तथा जल्दी से परियोजना आरंभ करने के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के विभिन्न हिस्सों में भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में एलओए की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2010 को समाप्त हो गई है। विकासक ने पहले सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध नहीं किया था। इसके अलावा यह मामला दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए परिपक्व हो चुका है। विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए भी अनुरोध किया है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड को 27 फरवरी, 2010 से अर्थात सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि समाप्त होने की तिथि से दो साल तक अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।
2.	मैसर्स करैकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)	पत्तन आधारित बहु उत्पाद, 243.506 हेक्टेयर	वंजोर गांव, तिरुपट्टिनम कम्यून, करैकल जिला, पांडिचेरी	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 26 फरवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने 208 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण लगभग 6 माह में कर लिया जाएगा। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन किया है जिसके लिए पुडुचेरी सरकार की सिफारिश प्रक्रियाधीन है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
3.	मैसर्स ट्रैक टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)	बहु सेवा, 1182.19 हेक्टेयर	कृष्णगिरि जिला, तमिलनाडु	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 26 फरवरी, 2011 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने लगभग 3000 एकड़ की संस्पर्शी भूमि की शिनाख्त कर ली है तथा अधिग्रहण में कंपनी की सहायता के लिए एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए एक स्थानीय एजेंट के साथ करार किया है। इसके अलावा उन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल के स्वामियों के साथ करार किया है तथा स्थानीय एजेंट के साथ वार्ता शुरू कर दी है।

				विकासक ने यह भी बताया है कि उनको सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो जाने और अधिग्रहण शुरू होने का विश्वास है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि एसईजेड के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों तथा संभावित साझेदारों से उत्साहवर्धक रिस्पांस मिल रहा है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
4.	मैसर्स महाराजा मल्टीग्रेड प्राइवेट लिमिटेड	बहु सेवा, 106.755 हेक्टेयर	टलोशी गांव, ताल्लुक इगतपुर, जिला नासिक, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 18 जून, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद, विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 17 जून, 2011 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 17 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा उसका पंजीकरण करा लिया है। इसके अलावा लगभग 8 हेक्टेयर भूमि का पंजीकरण कराया जा रहा है। विकासक ने यह भी बताया है कि संबंधित प्राधिकारियों से बीटीएएल अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना विलंबित हुई है। इसके अलावा शेष भूमि खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।
5.	मैसर्स लेपाक्षी नॉजेज हब प्राइवेट लिमिटेड	बहु उत्पाद्र, 1032 हेक्टेयर	अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद, विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 26 फरवरी, 2011 तक वैध था। विकासक ने बताया है कि संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, तथापि आर्थिक मंदी के वर्तमान परिदृश्य के कारण कंपनी औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करने से पूर्व विस्तार प्राप्त करना चाहेगी। इसलिए विकासक ने 26 फरवरी, 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।
6.	मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड	बहु उत्पाद्र, 5000 हेक्टेयर	खोप्टा, जिला रायगड, महाराष्ट्र	8 अगस्त 2006 को प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद 07 अगस्त, 2009 तक दो बार अवधि बढ़ाई भी गई थी। इसके बाद विकासक ने तीसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जिसका प्रावधान उस समय एसईजेड

				नियमावली में नहीं था। इसलिए 5 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक द्वारा नया फार्म 'ए' प्रस्तुत किए जाने तथा राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने के अधीन पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से अर्थात 8 अगस्त 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विकासक द्वारा दोनों शर्तों को पूरा किए जाने के बाद 8 अगस्त 2009 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विकासक को नए सिरे से अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया जो 07 अगस्त, 2011 तक वैध है। अब विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 1874 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है जो संस्पर्शी नहीं है तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। विकासक ने यह भी बताया है कि भूमि सहित परियोजना में 1786 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने अनुरोध किया है कि सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 अगस्त 2012 तक बढ़ाई जाए।

मद संख्या 46.11 : नासिक, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 26 जून, 2007 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि दो बार बढ़ाई गई। दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि 25 जून, 2010 तक वैध थी। दूसरी बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति से पूर्व विकासक ने तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। पहले 3 साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एसईजेड नियमावली में कोई प्रावधान नहीं था। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने ऐसे सभी मामलों में पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से नया अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया गया था तथा इसके लिए शर्त रखी गई थी कि विकासक नया फार्म 'ए' प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करेगा। तद्नुसार पत्र दिनांक 5 मई 2010 के माध्यम से विकासक को नया फार्म 'ए' प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार की सिफारिश भी प्राप्त करने की सलाह दी गई ताकि पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तिथि से नया सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा सके। विकासक ने पत्र दिनांक 18 जून 2010 के माध्यम से विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को नया फार्म 'ए' प्रस्तुत किया था। तथापि, चूंकि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं की गई थी, इसलिए 26 जून 2010 से नया सैद्धांतिक अनुमोदन जारी नहीं किया जा सका।

इस बीच एसईजेड नियमावली में संशोधन किए गए हैं जिससे दो साल की अवधि के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विकासक ने यह कहते हुए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि उन्होंने 40 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष संस्पर्शी भूमि के अधिग्रहण के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

इस मामले में सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता 25 जून, 2009 को समाप्त हो गई है। इसलिए 25 जून 2011 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए तीसरी बार समय बढ़ाने की आवश्यकता थी। चूंकि यह तिथि भी बहुत करीब है इसलिए विकासक के लिए चौथी बार समय बढ़ाने का समय आ गया है। अनुमोदन बोर्ड को 25 जून, 2009 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करना है।

मद संख्या 46.12 : संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उपर्युक्त एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है :

(i) सन्निकटता की शर्त में ढील प्रदान की गई है तथा यह शर्त रखी गई है विकासक मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार डेडीकेटेड सिक्योरिटी गेट / ओवर ब्रिज / अंडर पास के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करेगा तथा रेलवे ट्रैक और सड़क के दोनों ओर 2.4 मीटर ऊंची फेंसिंग / चेन लिंक फेंसिंग का निर्माण करेगा तथा 0.6 मीटर की कटीले तार की फेंसिंग भी करेगा।

(ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) वाणिज्य विभाग को रेल मंत्रालय, एनएचएआई तथा अन्य प्राधिकरणों से औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब रेलवे एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

(iv) एनएमएसईजेड में किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

(v) एनएमएसईजेड में ड्यूटी पेड तथा गैर ड्यूटी पेड सामग्रियों के समुचित भंडारण, पृथक्करण तथा लेखांकन के लिए मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त के परामर्श से विकास आयुक्त द्वारा उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाएगा।

05 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया :

क) सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए मूलत: लगाई गई शर्त में ढील देना;

ख) अंडर पास के निर्माण की शर्त में ढील देना, जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षित संपर्क का सुझाव दिया है; और

ग) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उनके बहु उत्पाद्र एसईजेड में 7 मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के निर्माण के लिए अनुमोदन (उपर्युक्त ख के माध्यम से मांगी गई छूट को ध्यान में रखते हुए);

घ) प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच सन्निकटता स्थापित करने के लिए फ्लाईओवर के स्थान पर दो स्काई वाक को मंजूरी प्रदान करना।

विकासक ने बाद में अपने प्रस्ताव को संशोधित किया था तथा अन्य बातों के साथ मौजूदा एसईजेड को तीन एसईजेड में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था जिस पर नवंबर 2010 में आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा अनुमोदन बोर्ड का निर्णय इस प्रकार था :

"बताया गया कि 16 सितंबर 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था तथा राजस्व विभाग के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रस्ताव की जांच करने के लिए उनको और समय की आवश्यकता थी। विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड ने बताया कि डीजीईपी, विकासक तथा क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक हुई तथा चर्चा के आधार पर अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया है। सर्वसम्मति होने के बाद राजस्व विभाग ने मूलत: 3 मुद्दे उठाए हैं - (i) एक एसईजेड के स्थान पर तीन एसईजेड का प्रस्ताव किया गया है अर्थात एक बहुक्षेत्र, एक परिधान तथा एक एफटीडब्ल्यूजेड के लिए तथा इन तीन एसईजेड में से केवल एफटीडब्ल्यूजेड प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच संस्पर्शी है और दो अन्य एसईजेड के संबंध में प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच कोई सन्निकटता नहीं है। (ii) बहु उत्पाद्र एसईजेड का प्रसंस्करण क्षेत्र कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का मात्र 49.88 प्रतिशत है जबकि 50 प्रतिशत होना चाहिए और (iii) फाटकों की संख्या को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त तथा विकास आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से एसईजेड का निरीक्षण किया गया तथा विचाराधीन प्रस्ताव राजस्व विभाग से समुचित परामर्श के बाद तैयार किया गया है। अब विकासक को यह सुनिश्चित करना है कि प्रसंस्करण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत हो। जहां तक सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का संबंध है, ईजीओएम मुद्दे का निस्तारण कर चुका है। तथापि, बोर्ड ने राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया, जो अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व अपनी टिप्पणियां भेजेंगे।"

अब विकासक ने बहुत उत्पाद्र एसईजेड के लिए शर्तों में छूट प्रदान करने के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। संशोधित प्रस्ताव में मौजूदा अधिसूचित क्षेत्र को निम्नलिखित 5 एसईजेड में विभाजित करने की परिकल्पना है :

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	लाइट इंजीनियरिंग	100
2.	एफटीडब्ल्यूजेड	61.01
3.	आईटी / आईटीईएस - ए	20.67
4.	आईटी / आईटीईएस - बी	27.88
5.	बहु उत्पाद्र	1014.12
	कुल	1223.68

विकासक ने निम्नलिखित अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है :

1. **उपर्युक्त 5 एसईजेड स्थापित करने के लिए अनुमोदन।**
2. **बहुत उत्पाद्र एसईजेड में प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी खंडों में तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में भी किसी प्रतिबंध के बगैर एसईजेड यूनिटों को एलओए जारी करना।**
3. **केवल गेट 1 (एनपीए के) के माध्यम से बहु उत्पाद्र एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामग्री का मूवमेंट।**
4. **रेल ओवर ब्रिज तथा वाहन अंडरपास द्वारा सन्निकटता स्थापित किए जाने के बाद ही दो पाकेटों (पूर्व में पीए 8 और पूर्व में एनपीए3) के लिए यूनिटें स्थापित करने के लिए एलओए जारी करना।**
5. **बहु उत्पाद्र एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 3 प्रवेश / निकास द्वार।**

विकास आयुक्त, एसईईपीजड एसईजेड तथा मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त की टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव का ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.13 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) सदाशिवपेट, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित एसईजेड का सेक्टर 'रणनीतिक विनिर्माण' से बदलकर 'इंजीनियरिंग (रणनीतिक विनिर्माण)' करने तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए भी मैसर्स श्री कुबेरा इनफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 10 मार्च 2010 के माध्यम से सदाशिवपेट, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रणनीतिक विनिर्माण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स श्री कुबेरा इनफ्राकॉन इंडिया लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने बताया है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 2 (x) के प्रावधानों के अनुसरण में "सेक्टर" का अभिप्राय आईटी / आईटीईएस तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, फर्मास्युटिकल्स एवं रसायन, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर जैसी किसी श्रेणी के तहत आने वाली एक या अधिक सेवा या एक या अधिक उत्पाद से है। विकासक से "रणनीतिक विनिर्माण" की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। जवाब में विकासक ने अपने एसईजेड को "इंजीनियरिंग (रणनीतिक विनिर्माण)" सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के रूप में पुन: वर्गीकृत करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया।

सेक्टर में परिवर्तन के अलावा विकासक ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जो 9 मार्च 2011 को समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने 444 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा लगभग 278 हेक्टेयर के लिए बिक्री करार किया गया है। विकास आयुक्त द्वारा यह भी सूचित किया है कि विकासक ने सूचित किया है कि एक साल की अवधि के अंदर संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इसलिए विकासक आयुक्त, वीएसईजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के साथ ही सेक्टर में परिवर्तन की सिफारिश की है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एसईजेड का सेक्टर बदलने तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.14 : डीटीए यूनिटों के लिए जॉब वर्क आधार पर विनिर्माण का कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स स्पैरो टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड जो श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में सिपकाट द्वारा विकसित किए जा रहे हाइटेक एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

निम्नलिखित उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स स्पैरो टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड को दो एकड़ भूमि आवंटित की गई है :

(i) **प्लास्टिक इंजेक्शन माउल्डिंग**
(ii) **वायर - वाउंड कंपोनेंट**
(iii) **इलेक्ट्रानिक असेंबली**

यूनिट ने बताया है कि परियोजना में एसईजेड तथा इसके आसपास की यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्पना है जिसमें मैसर्स सैमसंग इंडिया और मैसर्स डेल इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा मैसर्स सैमसंग इंडिया और मैसर्स डेल इंडिया के एसईजेड के बाहर शिफ्ट हो जाने से यूनिट के लिए एसईजेड में प्रचालन करते हुए इन कंपनियों को कंपोनेंट की आपूर्ति करना अलाभप्रद हो गया है। यूनिट ने बताया है कि सभी कच्चा माल देशज रूप में उपलब्ध है और यूनिट किसी ड्यूटी फ्री सामग्री का आयात नहीं करेगी, जबकि घरेलू ग्राहकों को इसके उत्पादों की बिक्री पर लागू सीमा शुल्क प्रभारित किया जाएगा। इसलिए यूनिट ने अपनी सुविधा में डीटीए यूनिटों के लिए जॉब वर्क आधार पर विनिर्माण का कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है ताकि यह लाभप्रद हो सके।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.15 : रक्षा ऑफसेट सुरक्षा एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा यूनिटों को आपूर्त की जाने वाली मदों को शामिल करने के लिए एलओए की ब्राडबैंडिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सीएसईजेड) की एक यूनिट है, का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

निम्नलिखित मदों के विनिर्माण / मरम्मत के लिए सीएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को 6 अप्रैल 2006 को एलओपी प्रदान किया गया था :

1. **(क) केबल टीवी नेटवर्किंग उत्पाद, कंप्यूटर नेटवर्किंग उत्पाद, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, संचार उपकरण।**

   (ख) पीसीबी की रिपेयरिंग / रिफर्बिशिंग / रिकंडिशनिंग / रिमैन्युफैक्चरिंग

2. **(क) फाइबर ऑप्टिक कपलर; फाइबर ऑप्टिक केबल असेंबली, ऑप्टिकल असेंबली, आरओएसए, टीओएसए, ट्रांसमीटर, रिसीवर, डीएफबीए, एफबीए तथा ट्रांसपोंडर।**

(ख) काम न करने वाले ट्रांसपोंडर, ट्रांसमीटर, ट्रांससीवर और रिसीवर की रिपेयरिंग / रिफर्बिशिंग / रिकंडिशनिंग / रिमैन्युफैक्चरिंग

3. केबल असेंबली

4. फाइबर ऑप्टिक मक्स / डिमक्स, फाइबर ऑप्टिक स्विच / एफडीडीआई, फाइबर ऑप्टिक अटेनुएटर, फाइबर आप्टिक एनक्लोजर।

5. मिनी ओवन, आरएफ / माक्रोवेव एंपलीफायर, डिजिटल थर्मामीटर, पीसीबी असेंबली, ऑसिलेटर, ईएमआई फिल्टर, फ्लेक्स कॉइल, एमआर के लिए कॉइल, सब असेंबली (कॉ-ऐक्सियल केबल असे, मोल्डेड पार्ट्स एंड हार्नेस), फ्लेक्स कॉइल की सर्विसिंग, एमआर के लिए कॉइल एवं सब असेंबली, थर्मल राइटर / प्रिंटर, थर्मल राइटर एवं प्रिंटर की सर्विसिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग सेवाएं, प्रोब टेस्टर के लिए सब असेंबली, उपर्युक्त सभी मदों के स्पेयर्स / पार्ट्स (कच्च माल)।

6. विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक उत्पाद, हाई लेवल असेंबली, बॉक्स बिल्ड इलेक्ट्रानिक उपकरण, एटीएम, सर्विलांस मॉनिटरिंग सिस्टम, पावर कनवर्जन प्रोडक्ट, ट्रांसफार्मर असेंबली, बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रानिक काउंटिंग मशीन, स्वास्थ्य देखरेख, संचार, औद्योगिक, आटोमोटिव, एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, रक्षा आदि में प्रयोग के लिए ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम

7. विनिर्माण की उपर्युक्त मदों के पार्ट्स, सब असेंबली और असेसरीज

8. विनिर्माण की मदों की रिपेयरिंग / रिफर्बिशिंग / रिकंडिशनिंग / रिमैन्यूफैक्चरिंग

9. विनिर्माण की मदों के लिए कंपोनेंट तथा स्पेयर पार्ट्स

10. विभिन्न प्रकार के जांच उपकरण और उनके पार्ट्स, सब असेंबली, असेसरीज

11. पैकिंग कार्टन

12. आइसोलेटेड स्विच मोड ड्राइवर

यूनिट ने अपने मंजूरी पत्र में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, विद्युत आपूर्ति, केबल और वायर हार्नेस, बॉक्स बिल्ड वायर्ड स्ट्रक्चर, मेटल एन्क्लोजर को शामिल करने के लिए विकास आयुक्त, सीएसईजेड से अनुमति प्रदान करने की मांग की है ताकि रक्षा ऑफसेट सुगमता एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा संगठनों को आपूर्ति की जा सके। उपर्युक्त के लिए मदों का विस्तृत विवरण, आशयित प्राप्तकर्ता, करार की अवधि तथा पूंजी माल एवं कच्चे माल की आवश्यकता इस प्रकार है :

1. मदों का विवरण	(मूल्य रूपए लाख में)
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली	300
विद्युत आपूर्ति	100
बॉक्स बिल्ड वायर्ड स्ट्रक्चर	100
मेटल एन्क्लोजर	200
केबल एवं वायर हार्नेस	50
कुल	750
2. आशयित प्राप्तकर्ता	थालेस, फ्रांस, राफेल, फ्रांस, इजरायल एयरोस्पेस उद्योग, इजरायल
3. अवधि	3 वर्ष

4. पूंजी माल : **फ्लाइंग प्रोब 1**	**150 लाख रुपए**
5. कच्चा माल एवं कंपोनेंट	**400 लाख रुपए**

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने बताया है कि चूंकि प्रस्ताव रक्षा ऑफसेट सुगमता एजेंसी (डीओएफए) के तहत रक्षा यूनिटों को आपूर्ति के लिए है इसलिए इसके लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है। इसलिए प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.16 : अगले 5 साल के लिए मैसर्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स डिवीजन (यूनिट 2) जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी के नवीकरण के लिए एनएसईजेड से प्राप्त अनुरोध

22 अप्रैल, 2003 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड की सिफारिश / अनुमोदन पर मैसर्स इलेक्ट्रो आप्टिक सिस्टम्स डिवीजन - यूनिट 2 (जो मैसर्स आप्टिक इलेक्ट्रानिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक डिवीजन है) की यूनिट स्थापित की गई। यह यूनिट आप्टिकल - इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे कि वाहनों में प्रयोग के लिए पैसिव विजन डिवाइस, लेजर रेंज फाइंडर, लेजर वार्निंग तथा सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण के लिए अनुमोदित की गई।

01 अप्रैल, 2004 को एलओए जारी किया गया था। यूनिट ने 20 मार्च, 2006 से उत्पादन शुरू किया तथा तदनुसार उनका एलओए 19 मार्च, 2011 तक वैध है। यूनिट ने अगले 5 साल के लिए अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। इस समय यूनिट निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन के लिए अधिकृत है :

निम्नलिखित की डिजाइन, विकास और निर्माण :

(i) **आप्टो इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कि पैसिव / नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजिंग डिवाइस, होलोग्राफिक / रिफ्लेक्स साइट, स्पाटर स्कोप, टेलीसकोपिक साइट, प्रिज्मेटिक / पेरिस्कोपिक डिवाइस तथा बायनोकुलर / मोनोकुलर डिवाइस**

(ii) **लेजर सिस्टम जैसे कि लेजर रेंज फाइंउर, लेजर साइट, लेजर वार्निंग सिस्टम**

(iii) **इलेक्ट्रो आप्टिक सर्विलांस तथा सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि कैमरा, सर्च लाइट, स्पाटर स्कोप**

(iv) **फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे कि टैंक आपरेटेड थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम, टैक्टिकल लाइट, विभिन्न सेंसर तथा कंट्रोल यूनिटें**

(v) **संचार प्रणाली**

(vi) **उपर्युक्त मदों के लिए प्रयुक्त असेसरीज जैसे कि माउंटिंग एडाप्टर कैरी केस, प्रोटेक्सन कवर, मेंटीनेंस किट, पावर सप्लाई यूनिट आदि**

डीटीए बिक्री के लिए शर्त :

(i) **डीटीए को आपूर्ति के प्रत्येक कंसाइनमेंट की एसईजेड द्वारा बारीकी से जांच की जानी चाहिए।**

(ii) **घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते समय केवल सरकारी एजेंसियों को उपकरण के प्रापण की अनुमति होगी।**

(iii) **सभी कंसाइनमेंट के साथ सरकारी प्रापण एजेंसी के किसी अधिकृत व्यक्ति को भेजा जाएगा**

अगले 5 वर्षों के लिए आयात / निर्यात का अनुमान यूनिट द्वारा प्रदान किया गया है जो इस प्रकार है :

		मूल्य लाख रुपए में
1.	**निर्यातों का एफओबी मूल्य**	**23906**
2.	**मशीनरी का आयात**	**281 लाख रुपए**
3.	**कच्चे माल एवं कंपोनेंट का आयात**	**14070**
4.	**स्पेयर और उपभोज्य वस्तुओं का आयात**	**141**
5.	**रायल्टी**	**1111**
6.	**विदेश यात्रा**	**37**
7.	**एनएफई अर्जन**	**8266**

जहां तक यूनिट के निष्पादन का संबंध है, वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए उपलब्ध कराए गए एपीआर में एनएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने 1152.83 लाख रुपए का निर्यात किया है तथा संचयी रूप से 2009-10 तक 686.95 लाख रुपए का सकारात्मक एनएफई अर्जित किया है। 2010-11 के लिए एपीआर की प्रतीक्षा है क्योंकि यूनिट के पास उक्त एपीआर दाखिल करने के लिए 30 जून 2011 तक का समय है।

चूंकि यूनिट को एलओए अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसार जारी किया गया था, विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड से अगले 5 साल के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है।

मद संख्या 46.17 : एसईजेड में एलएनजी लाने और उसे डीटीए में वापस ले जाने के लिए पाइप लाइन के प्रवेश और निकास के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज, जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सी2-सी3 प्रोजेक्ट - दाहेज को एलओपी दिनांक 6 मार्च 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में एलएनजी से सी2, सी3 और सी4 की एक रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने बताया है कि प्लांट फीड स्टाक के रूप में लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का प्रयोग करेगा जिसकी आपूर्ति पाइप लाइन के माध्यम से मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) की एक समीपवर्ती डीटीए यूनिट द्वारा की जाएगी। एसईजेड में यूनिट फीड एलएनजी से सी2 (इथेन), सी3 (प्रोपेन) और सी4 (बुटेन) का निष्कर्षण करेगी और शेष एलएनजी पाइप लाइन के माध्यम से पीएलएल को वापस करेगी। पाइप लाइन एलएनजी की ऐसी थोक मात्रा के परिवहन के लिए एकमात्र किफायती विधि है। इसके अलावा प्लांट को एलएनजी फीड पर सीमा शुल्क के मूल्यांकन की विधि को अनुमोदित करते समय यूनिट अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया था कि पाइप लाइन के प्रवेश और निकास के लिए अनुमति एसईजेड में एलएनजी लाने के लिए आवश्यक है तथा डीटीए में उसे वापस ले जाने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। तद्नुसार यूनिट ने एसईजेड में एलएनजी लाने तथा डीटीए को उसे वापस करने के लिए पाइप लाइन के प्रवेश और निकास के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 46.18 : पेट्रो रसायन फीड स्टाक की नेट बिलिंग में डीटीए और एसईजेड के बीच विनिर्माण पीआईबी - पैरिटी के लिए एसईजेड से डीटीए में आपूर्त किए गए एलपीजी (सी4) फीड स्टाक की नेट बिलिंग की अनुमति की अधिसूचना के लिए ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड का अनुरोध

ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, ने पीआईबी के विनिर्माण के लिए एसईजेड से डीटीए को आपूर्त किए गए एलपीजी (सी4) फीड स्टॉक की नेट बिलिंग की अनुमति के लिए अधिसूचना के लिए अनुरोध किया है। 29 अप्रैल 2011 को आयोजित दाहेज एसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति में प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। प्रस्ताव संक्षेप में इस प्रकार है :

मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड 20000 टीपीए की ग्रीन फील्ड पीआईबी (पोली इसो बुटेलीन) सुविधा जिसका 40000 टीपीए तक विस्तार किया जाएगा, स्थापित करने के लिए अपने नाफ्था क्रैकर प्लांट से डीटीए यूनिट (जीपीपीएल दाहेज पोली बुटेलीन प्रोजेक्ट) को एलपीजी की आपूर्ति करेगा और ज्यादातर घरेलू उद्योग को पीआईबी की आपूर्ति करेगा। ओपीएएल से जीपीपीएल को लगभग 71500 मीट्रिक टन नए फीड स्टाक की पाइप लाइन आपूर्ति और 25000 टीपीए के निवल फीड स्टाक उपभोग के साथ जीपीपीएल से ओपीएएल को लगभग 46500 मीट्रिक टन रिटर्न स्ट्रीम की पाइप लाइन आपूर्ति होगी। संपूर्ण फीड स्ट्रीम को लेने तथा पोलीबुटेन का निर्माण करने और शेष को वापस करने के लिए इसके अंग के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

- **फीड स्ट्रीम और रिटर्न स्ट्रीम दोनों एलपीजी हैं तथा उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 27 11 19 00 के तहत वर्गीकृत हैं।**
- **फीड स्ट्रीम और रिटर्न स्ट्रीम दोनों की कीमतें हमेशा समान रहती हैं।**
- **यह मानक उद्योग प्रथा है।**

मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) ने पेट्रोरसायन फीड स्टाक की नेट बिलिंग में डीटीए और एसईजेड के बीच पैरिटी के लिए अनुरोध किया था और सीमा शुल्क, सीवीडी, एसएडी तथा किसी ऐसे लेवी के प्रयोजनार्थ पीआईबी के विनिर्माण के लिए एसईजेड से डीटीए को आपूर्त एलपीजी (सी4) फीड स्टाक की नेट बिलिंग की अनुमति के लिए अधिसूचना के लिए अनुरोध किया था, जब एलपीजी / पीआईबी फीड स्टाक का स्रोत एसईजेड यूनिट है तथा पीआईबी विनिर्माण यूनिट डीटीए में स्थित है।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यूनिट अनुमोदन समिति के पास नेट बिलिंग की अनुमति प्रदान करने की अधिसूचना के लिए प्राधिकार नहीं है और मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजा जा सकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए दाहेज में उनकी एसईजेड यूनिट में मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) को पेट्रो रसायन फीड स्टाक की नेट बिलिंग में डीटीए और एसईजेड के बीच पैरिटी के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है तथा यह शर्त रखी गई है कि उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष तथा आवक एवं जावक एलपीजी की कीमतें समान रहेंगी।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.19 : प्लास्टिक प्रसंस्करण यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, के एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढाने के लिए अनुरोध

एलओपी दिनांक 18 दिसंबर, 1997 के माध्यम से मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड को 36000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता के साथ प्लास्टिक फ्लूर के निर्माण और निर्यात के लिए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए को मंजूरी प्रदान की गई थी। यूनिट ने 02 जून, 1998 को उत्पादन शुरू किया था। प्रचालन के पांच वर्ष के पहले ब्लाक के पूरा होने पर 2 जून 2003 से 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी का नवीकरण किया गया था। इसके बाद, 01 अगस्त 2008, 19 जून 2009 और 08 जून, 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा एक-एक साल के लिए तीन बार अवधि बढ़ाई गई है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 01 जून 2011 तक वैध है। यूनिट ने अगले 5 वर्षों के लिए अपने एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड ने 2003-04 से 2007-08 तक यूनिट के विदेश व्यापार निष्पादन का ब्यौरा प्रदान किया है जो इस प्रकार है :

1.	**निर्यात**	**:**	**4568.82 लाख रुपए**
2.	**आयात (कुल बहिर्प्रवाह)**	**:**	**4038.87 लाख रुपए**
3.	**एनएफई अर्जन**	**:**	**529.95 लाख रुपए**

एसईजेड द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि 5 साल के तीसरे ब्लाक में प्रचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान अर्थात 2008-09 (जून 2008 से मार्च 2009), 2009-10 तथा वित्त वर्ष 2010-11 (अप्रैल 2010 से फरवरी 2011) के दौरान यूनिट ने क्रमश: 10.41 करोड़ रुपए, 33.92 करोड़ रुपए और 34.43 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया है [नियम 53 ए (ए) के अनुसार ईईएफसी लेखा में डीटीए बिक्री द्वारा]। इसके अलावा, इस यूनिट में 1200 से अधिक अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं जिसमें से 60 प्रतिशत से अधिक कामगार महिलाएं हैं।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने 2 जून 2011 से 1 जून 2013 से 2 साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए सिफारिश की है जो उसके प्रचालन के तीसरे ब्लाक की शेष अवधि है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.20 : एक एसईजेड से यूनिटों को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रह क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड, जो नोएडा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

डाटा प्रसंस्करण (सॉफ्टवेयर निर्यात) की सेवाएं प्रदान करने के लिए नोएडा एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटियंट प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 23 फरवरी, 2005 प्रदान किया है। यूनिट ने नोएडा एसईजेड में कुल 670 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में अपना प्रचालन स्थापित किया है। यूनिट ने कहा है कि इसने 01 जून, 2006 को प्रचालन आरंभ कर दिया था और 31 मार्च, 2010 तक कुल 323.67 लाख रुपए का निवेश किया है, 64410.14 लाख रुपए का निर्यात किया है और 349 व्यावसायिक स्टाफ को काम पर रखा है। यह भी बताया गया है कि 31 मार्च, 2010 तक 59032.62 लाख रुपए का एनएफई प्राप्त किया गया है।

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यूनिट को नोएडा एसईजेड से अपना लोकेशन गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में शिफ्ट करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अब यूनिट ने गुड़गांव इनफोस्पेस एसईजेड में लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन को लौटाने का अनुरोध किया है तथा अपने लोकेशन को व्यवसाय योजना में परिवर्तन के कारण गुड़गांव में डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड में शिफ्ट करने का भी अनुरोध किया है।

यूनिट ने कहा है कि यह भारत में अपने वर्तमान व्यवसाय के विस्तार के लिए नए कर्मचारियों को काम पर रखना चाहती है। चूंकि मौजूदा क्षेत्र से वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी इसलिए यह अपने लोकेशन को नोएडा एसईजेड से गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करना चाहती है। इसके अलावा, गुड़गांव इंफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट हो जाने से उसे यह लाभ होगा कि उसे उक्त एसईजेड द्वारा प्रदान की जा रही विश्व स्तरीय अवसंरचना तथा अतिरिक्त स्थान मिल जाएगा जो इस समय नोएडा एसईजेड में उपलब्ध नहीं है। यूनिट द्वारा प्रस्तावित अंतरण के लिए प्रदान किया गया विस्तृत औचित्य अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.21 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 03 अप्रैल, 2007 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडगेल प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 अप्रैल, 2007 के माध्यम से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मेडगेल प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने मूल वैधता अवधि के बाद समय समय पर कुल तीन साल की अवधि के लिए यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 02 अप्रैल, 2011 तक वैध थी। यूनिट ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने सभी संबद्ध सिविल कार्य, प्लांट एवं मशीनरी का 95 प्रतिशत पूरा कर लिया है तथा परियोजना को पूरा करने तथा यथाशीघ्र प्रचालन आरंभ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इसलिए विकास आयुक्त ने 03 अप्रैल, 2011 से 6 माह की अवधि के लिए (अर्थात 02 अक्टूबर, 2011 तक) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 15 अक्टूबर, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से मैसर्स ओपीएएल को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 15 अक्टूबर, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने दिसंबर 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज ने बताया है कि एसईजेड में यूनिट द्वारा स्थापित किया जा रहा पेट्रोरसायन कम्प्लेक्स भारत की इस तरह की सबसे बड़ी यूनिट है जिसका मूल्य लगभग 19500 करोड़ रुपए है और ऐसी परियोजनाओं के लिए सामान्यतया लगभग 5 साल की परिपक्वता अवधि होती है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट ने बताया है कि टर्नकी आधार पर अवसंरचना विकास कार्य पूरा हो गया है। क्रैकर यूनिट कार्यान्वयन के अधीन है। अन्य कार्य भी निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं। इसके अलावा चूंकि यह एक बड़ी परियोजना है और सामान्यतया वास्तविक भौतिक प्रगति निर्माण गतिविधियों को अधिक वेटेज प्रदान किए जाने के कारण परिपक्वता अवधि के उत्तरार्ध के दौरान शुरू होती है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने 15 अक्टूबर 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 15 अगस्त, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पिडिलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड (पीआईएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 16 अगस्त, 2007 के माध्यम से मैसर्स पीआईएल को पोली क्लोरोप्रीन के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 15 अगस्त, 2011 तक बढ़ाई थी। यूनिट ने अगस्त 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने बताया है कि यूनिट ने दो तिहाई से अधिक विकास कार्य पूरे कर लिए हैं और 500 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से 354 करोड़ का निवेश कर चुकी है। यह भी सूचित किया गया है कि साइट पर सिविल निर्माण पूरे जोरों पर है और प्लांअ एवं संबद्ध यूटिलिटीज का निर्माण मार्च 2012 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद प्लांट का संस्थापन आरंभ होगा तथा यूनिट जुलाई 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन को स्थिर करने की उम्मीद कर रही है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने 15 अगस्त 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 15 जनवरी, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ऊष्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 15 जनवरी, 2008 के माध्यम से फार्मुलेशन उत्पादों अर्थात पीलेट्स और ग्रैन्यूल्स के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ऊष्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

यूनिट विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विकासक द्वारा आवंटित भूमि पर अनुमोदित गतिविधियां शुरू नहीं कर सकीं और तद्नुसार दिसंबर 2009 में प्रदान की गई मंजूरी के माध्यम से एंटी कैंसर एपीआई के विनिर्माण की गतिविधियां शुरू की। यूनिट के एलओए की वैधता अवधि दिसंबर 2010 तक बढ़ाई गई क्योंकि यूनिट ने इस समय तक परियोजना को पूर्ण करने की पुष्टि की थी। हालांकि यूनिट ने अपनी निर्माण गतिविधियां शुरू की, अपने प्लांट और मशीनरी को अंतिम रूप दिया तथा कुछ परमीशन और लाइसेंस प्राप्त किया तथापि प्रतिबद्ध समय सीमा में परियोजना पूरी नहीं कर सकी और जनवरी 2011 में तीसरे साल के लिए एलओए की बढ़ाई गई वैधता अवधि भी समाप्त हो गई। तद्नुसार पत्र दिनांक 17 फरवरी 2011 के माध्यम से यूनिट ने अब मार्च 2012 तक की अगली अवधि के लिए अर्थात चौथे साल के लिए अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

इसलिए विकास आयुक्त ने 15 जनवरी, 2011 से एक साल की अगली अवधि के लिए (अर्थात 15 जनवरी, 2012 तक) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.22 : पांचवे साल के बाद यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 03 अप्रैल, 2011 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स श्री कृष्णा वेल पैक प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 10 मई, 2006 के माध्यम से कोरुगेटेड बॉक्स, बोर्ड एवं शीट के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स श्री कृष्णा वेल पैक प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने मूल वैधता अवधि के बाद समय समय पर कुल तीन साल की अवधि के लिए यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई थी। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 06 मई, 2010 तक वैध है। यूनिट अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू नहीं कर सकी तथा दो साल के लिए अर्थात 9 मई 2012 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। यूनिट ने बताया है कि वे उक्त परियोजना में 20 लाख रुपए का निवेश कर चुके हैं।

विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने विशेष मामले रूप में छठवें वर्ष के लिए 9 मई 2012 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए दो साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.23 : निषिद्ध माल (दाल) के आयात / निर्यात तथा निर्यात के लिए डीटीए से प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए मैसर्स जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र ने मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स जैब्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 3 मार्च 2011 के माध्यम से मूंगफली, मूंगफली कार्नेल, मूंगफली बीज, तिल (हल्ड, नेचुरल) आदि के संबंध में व्यापार के लिए उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। अब यूनिट ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से निषिद्ध माल (दाल) के आयात / निर्यात तथा निर्यात के लिए डीटीए से प्रतिबंधित मदों के प्रापण के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 4 मार्च 2010 को जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि निषिद्ध मदों के निर्यात तथा आयात के लिए निषिद्ध मदों के मामले में अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। अवसंरचना सुविधा स्थापित करने तथा रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पॉलिशिंग और ब्लेंडिंग को छोड़कर विनिर्माण कार्य के लिए अवसंरचना सुविधा स्थापित करने के लिए डीटीए यूनिट द्वारा एसईजेड विकासक / यूनिट को प्रतिबंधित मदों की आपूर्ति के संबंध में भी अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

आयात / निर्यात करने के लिए प्रस्तावित निषिद्ध / प्रतिबंधित मदों की सूची जो विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्राप्त हुई है, को दर्शाने वाला विस्तृत एजेंडा नोट अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.24 : मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में दालों के व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हाजी सत्तार हबीब एंड संस का अनुरोध

रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में 53.635 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स हाजी सत्तार हबीब एंड संस ने उपर्युक्त एफटीडब्ल्यूजेड में दालों के लिए व्यापार यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि 18 फरवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया। समिति ने नोट किया कि व्यापार के लिए प्रस्तावित मदें आईटी / एचएस कोड की निर्यात नीति के अनुसार निषिद्ध मदें हैं और इसलिए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड

का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके अलावा 7 सितंबर 2007 को अधिसूचित एसईजेड (तृतीय संशोधन) नियमावली 2010 के अनुसरण में भी अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

तद्नुसार विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने प्रस्ताव के ब्यौरों को दर्शाने वाला एजेंडा नोट अग्रेषित किया है जो अनुबंध 6 के रूप में संलग्न है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.25 : मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में दालों के व्यापार एवं प्रसंस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स क्वालिट एग्रो प्रोसेसर्स का अनुरोध

तूतीकोरीन, तमिलनाडु में 119.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सीसीसीएल पर्ल सिटी फूड पोर्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स क्वालिट एग्रो प्रोसेसर्स ने निर्यात के लिए दालों की ट्रेडिंग / सफाई / ग्रेडिंग / प्रोसेसिंग / पैकिंग के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। मैसर्स क्वालिट ने 1 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए विकासक से अनंतिम प्रस्ताव पत्र दिनांक 26 फरवरी 2011 प्राप्त किया है। उन्होंने पहले 5 वर्षों के लिए 10459 लाख रुपए का निर्यात और 1309 लाख रुपए का एनएफई प्रदर्शित किया है। परियोजना की अनुमानित लागत 314.15 लाख रुपए है तथा उन्होंने प्रमोटर्स के अंशदान तथा बैंक वित्त के रूप में इसे वहन करने का प्रस्ताव किया है।

चूंकि दालें निर्यात के लिए निषिद्ध माल की श्रेणी में आती हैं, इसलिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 तथा 7 सितंबर 2010 को अधिसूचित एसईजेड (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मैसर्स क्वालिट का आवेदन अग्रेषित किया है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.26 : बिस्कुट और कनफेक्शनरी के विनिर्माण के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टिंबमेट इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड का अनुरोध

मैसर्स टिंबमेट इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, केएएसईजेड को एलओए दिनांक 18 सितंबर 2007 के माध्यम से टिंबर इंजीनियर्ड कंपोनेंट जैसे कि पैनल, फ्लोरिंग आदि के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी पत्र प्रदान किया गया था। एलओए की अवधि 17 सितंबर, 2011 तक बढ़ाई गई। कंपनी ने एसईजेड में अभी तक अपनी गतिविधि शुरू नहीं की है।

अब कंपनी ने टिंबमेट इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से अपना नाम बदलकर युनिवर्सल कनफेक्शनरी एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है तथा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के यहां इसका पंजीकरण कराया है। नई कंपनी मौजूदा कंपनी की सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करेगी।

कंपनी का मुख्य उद्देश्य टिंबर प्रोडक्ट के निर्यात बाजार के सिमटने के कारण विनिर्माण गतिविधि की संकल्पना को बिस्कुट और कनफेक्शनरी (आईटीसी एचएस कोड 19053100, 19059020, 17049020,

17049030, 17049090) में परिवर्तित करना है। उपर्युक्त दो मदों के लिए वार्षिक उत्पादन क्षमता 6600 मीट्रिक टन होगी। 5 साल की अवधि के लिए प्रक्षेपित निर्यात का एफओबी मूल्य 12203 लाख रुपए है तथा 11348 लाख रुपए की निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की जाएगा। कंपनी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वे टिंबर प्रोडक्ट का उत्पादन जारी नहीं रखेंगे तथा टिंबर प्रोडक्ट के मंजूरी पत्र को अभ्यर्पित कर देंगे।

विकास आयुक्त, केएसएसईजेड ने यह कहते हुए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए एलओए के अंग के रूप में अनुमत गतिधियों के विरुद्ध बिस्कुट और कनफेक्शनरी का निर्माण करने के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है कि चूंकि बिस्कुट और कनफेक्शनरी के निर्माण के लिए शुगर मुख्य इनपुट है, जिसका अबाध रूप से निर्यात नहीं किया जा सकता है इसलिए अनुमोदन बोर्ड के पास अनुरोध को भेजने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.27 : अनुमोदन पत्र के नवीकरण / विस्तार में संशोधन के लिए मैसर्स मिलक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, केएएसईजेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 17 सितंबर 1982 के माध्यम से प्लास्टिक बैग, कैप तथा स्ट्रेच रैपिंग, पैकिंग के लिए प्लास्टिक तथा प्लास्टिक कंटेनर सहित पैकिंग बाक्स के लिए प्लास्टिक स्ट्रैप के विनिर्माण के लिए केएएसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स मिलक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को मंजूरी प्रदान की गई थी। यूनिट को एसईजेड यूनिटों की बेकार एवं पुरानी पैकिंग सामग्रियों से रिसाइकल्ड ग्रैन्यूल्स पाउडर, श्रेडिंग, स्माल पीस एवं एग्लोमरेट के विनिर्माण के लिए अनुमति पत्र दिनांक 29 जून 2001 के माध्यम से ब्राड बैंडिंग की अनुमति भी प्रदान की गई थी। यूनिट ने केएएसईजेड में 31 दिसंबर 1985 को अपना प्रचालन आरंभ किया है तथा 5 वर्षों के ब्लाक के दौरान 357.72 लाख रुपए का संचयी सकारात्मक एनएफई अर्जित किया है। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(6) के अनुसरण में 5 साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 अक्टूबर 2010 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि इस शर्त के साथ बढ़ाई गई कि यह किसी स्रोत से कोई प्लास्टिक स्क्रैप / अपशिष्ट का प्रापण नहीं करेगी।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि यूनिट अपनी स्वयं की फैक्ट्री में तथा एसईजेड में स्थित अन्य यूनिटों में सृजित प्लास्टिक स्क्रैप तथा वर्जिन सामग्री का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती है तथा किसी प्लास्टिक स्क्रैप / अपशिष्ट का आयात नहीं करती है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यह भी बताया है कि चूंकि यूनिट किसी स्क्रैप का आयात नहीं करती है और केवल एसईजेड यूनिटों से इसे प्राप्त करती है, लगाई गई शर्त एलओए के प्रतिकूल है। इसके अलावा शर्त प्लास्टिक स्क्रैप की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लगाई गई। इसलिए विकास आयुक्त ने सिफारिश की है कि यूनिट को एसईजेड के अंदर अन्य यूनिटों से सृजित प्लास्टिक स्क्रैप तथा अपनी स्वयं की यूनिट से प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जा सकती है कि किसी प्लास्टिक स्क्रैप का आयात नहीं किया जाएगा। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड से उपर्युक्त शर्त में ढील देने के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया है कि नियम 18 (4) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड इसके लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.28 : तीसरे पक्ष (भारतीय एवं विदेशी) के विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित डिफेक्टिव गियर बॉक्स यूनिटों की मरम्मत / रिकंडीशनिंग आदि करने के लिए मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड का अनुरोध (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

मैसर्स हैंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। [23] फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने इसके और इसकी मूल कंपनी (हैंसेन ट्रांसमिशन इंटरनेशनल, बेल्जियम) द्वारा विनिर्मित गियर यूनिटों की मरम्मत करने के लिए यूनिट को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने किसी तीसरे पक्ष - भारतीय एवं विदेशी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत करने और डीटीए में स्थित ग्राहकों को मरम्मत किए गए गियर बॉक्स वापस भेजने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। यूनिट ने निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

क) डीटीए से प्राप्त गियर बॉक्स (विदेशी विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित) की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग करना और मरम्मत / रिइंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद डीटीए को वापस भेजना; और

ख) डीटीए से प्राप्त गियर बॉक्स (किसी डीटीए विनिर्माता द्वारा विनिर्मित) की मरम्मत करना और तीसरे पक्ष के विनिर्माताओं (घरेलू एवं विदेशी) द्वारा विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत करना और मरम्मत / रिइंजीनियरिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद उसे डीटीए को वापस भेजना

18 नवंबर 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा विभिन्न स्रोतों से गियर बॉक्स की संभावित मात्रा, जिनकी मरम्मत / सर्विसिंग की जाएगी, सेवाओं के लिए भुगतान की कार्यविधि तथा डीटीए से आने वाले गियर बॉक्स के संबंध में ड्यूटी के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर यूनिट द्वारा स्पष्टीकरण के लिए आस्थगित कर दिया गया। यूनिट से सूचना प्राप्त होने पर 14 जनवरी 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले पर पुन: विचार किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड तथा क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्राधिकारी यूनिट के परिसरों का दौरा करेंगे तथा मुद्दे का आकलन करेंगे और संभावित समाधान तलाशने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया। अब इस मामले में विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा अनुबंध 7 के रूप में संलग्न है। तदनुसार, मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.29 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरूद्ध मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच की अपील (इसे 25 मार्च, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स अर्थात ब्लड टेस्टिंग एनलाइजर्स और स्पेयर पार्ट्स तथा एसेसजरीज के विनिर्माण एवं निर्यात के एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। 26 मार्च, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति

द्वारा मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि समिति ने नोट किया कि प्रमोटर को उल्लंघन के लिए एफटी (डीएंडआर) के तहत दंडित किया गया है। अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के माध्यम से सूचित किया गया।

अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अनुमोदन बोर्ड ने अपील पर विचार किया। अपीलकर्ता उपस्थित नहीं था। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अपील को अस्वीकार कर दिया।

अब मैसर्स एरबा डायग्नोस्टिक्स मैनहीम जीएमबीएच ने यह कहते हुए अभिवेदन दिया है कि अधिकृत प्रतिनिधि के वहां मौजूद होने के बावजूद कुछ भ्रम के कारण अपीलकर्ता के उपस्थित न होने के आधार पर उसकी अपील अस्वीकार कर दी गई। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपने मामले को रखने का अवसर दिया जाए। 14 जनवरी, 2011 और 25 मार्च, 2011 को आयोजित बैठकों में अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील रखी गई। दोनों अवसरों पर अपील पर विचारण को अपीलकर्ता के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: प्रस्तुत है।

(ii) अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में व्यापार की गतिविधि को शामिल करने के लिएएलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एसईजेड, तमिलनाडु की एक यूनिट है, की अपील (चुनाव के कारण अनुमोदन बोर्ड की 45वीं बैठक में आस्थगित कर दिया गया था)

मैसर्स हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड को विंड टर्बाइन के लिए गियर यूनिटों के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा निर्माण करने के लिए मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाइटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में 25 सितंबर 2007 को एलओए जारी किया गया था। इसके बाद गियर बाक्स के निर्माण की मरम्मत / रीइंजीनियरिंग तथा रीकंडिशनिंग के लिए तथा विंड टर्बाइन के लिए गियर बाक्स के स्पेयर पार्ट्स में व्यापार से संबंधित सेवाओं को शामिल करने के लिए भी एलओए को संशोधित किया गया था। यूनिट ने शुल्कों और करों के भुगतान पर स्थानीय ग्राहकों को बिक्री (व्यापार की गतिविधि) के लिए पूर्णत: असेंबल्ड गियर बॉक्स की यूनिटों के आयात के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, एमएसईजेड से अनुरोध किया है। 24 दिसंबर 2010 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा इस पर सहमति नहीं हुई क्योंकि यूनिट अनुमोदन समिति का यह मानना है कि यूनिट को हंसेन ड्राइव्स लिमिटेड, हंसेन ट्रांसमिशन (मूल कंपनी) तथा इसकी सहयोगी कंपनियों के विनिर्मित गियर बॉक्स की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग के लिए अनुमति प्रदान की जा चुकी है तथा गियर बॉक्स यूनिटों तथा ट्रेडिंग एवं रिपेयर / रिइंजीनियरिंग के लिए लाए गए कंपोनेंट के बीच अंतर करना कठिन है। यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 4 जनवरी, 2011 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने अधिकृत प्रचालनों के लिए ब्राड बैंडिंग सेवा के रूप में ट्रेडिंग के समावेशन के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है।

इस मामले में विकास आयुक्त, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट से संबंधित एक अन्य मामले में अनुमोदन बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में यूनिट का दौरा किया गया तथा विनिर्मित गियर बॉक्स तथा व्यापार के योग्य गियर बॉक्स के बीच तादात्म्य स्थापित करने की कार्यविधि का सत्यापन किया गया। इसके अलावा चूंकि प्रत्येक गियर बॉक्स पर विनिर्माता का नाम, माडल तथा सीरियल नंबर होता है इसलिए उसकी उत्पत्ति आदि के सिलसिले में गियर बॉक्स की पहचान करना कठिन नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करने में विकास आयुक्त, एमईपीजेड को कोई आपत्ति नहीं है। विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है।

अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप जो अपीलकर्ताओं के कारखाने में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग तथा रिकंडिशनिंग से उत्पन्न होते हैं, को हटाने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपील

मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को जेनरेटर तथा कंट्रोल पैनल, विंडमिल के पार्ट्स का निर्माण करने के लिए कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा हाईटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए 18 सितंबर 2007 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इसकी मूल कंपनी के लिए विनिर्मित जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग एवं रिकंडिशनिंग करने के लिए एलओए की ब्राडबैंडिंग की गई। यूनिट ने सितंबर 2008 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया तथा 31 मई, 2009 तक की स्थिति के अनुसार 160 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। यूनिट ने डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप के निवारण के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से अनुरोध किया था, जो उसके कारखाना परिसर में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रिइंजीनियरिंग तथा रिकंडिशनिंग से उत्पन्न होते हैं। यूनिट ने बताया है कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने इस आधार पर उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है कि ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए में स्क्रैप (जो आयातित खराब जेनरेटर से उत्पन्न होता है) के क्लियरेंस के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए एसईजेड नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 03 फरवरी, 2011 के माध्यम से सूचित किया गया।

अब यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित यूनिट ने यूनिट के परिसर में जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत करने के दौरान डीटीए में अपशिष्ट एवं स्क्रैप सृजित होने पर उसे अबाध रूप से क्लियर करने की मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है।

अपील अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 46.30 : कांडला एसईजेड में प्लास्टिक रीप्रोसेसिंग सेक्टर को जारी किए गए मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 के उप नियम 4 के तहत प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की री-साइकलिंग के लिए प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए जाएंगे। तद्नुसार 8 जून 2010 को आयोजित

अनुमोदन बोर्ड की बैठक में कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम में आयातित प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रैप की रीप्रोसेसिंग में शामिल निम्नलिखित यूनिटों को 5 साल की अवधि के लिए समय बढ़ाने के उनके अनुरोध के विरुद्ध पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति (अर्थात 31 अक्टूबर 2010 से) की तिथि से एक साल के लिए अवधि बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की गई :

क्रम संख्या	यूनिट का नाम	एलओए संख्या एवं तिथि	नवीकरण की नियत तिथि
1	इंपीरियल ओवरसीज	केएफटीजेड/आईए/1691/97 28 अक्टूबर, 1997	31 अक्टूबर, 2011
2	अंश पोलीमर्स लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1572/95 20/7/1995	31 अक्टूबर, 2011
3	ब्लेज इंटरनेशनल	केएफटीजेड/आईए/1675/97 27/1/1998	31/10/2011
4	सीजे प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1601/95 14/2/1996	31/10/2011
5	हरीश प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1671/96 06-04-1997	31/10/2011
6	कांडला पोलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1665(ए)/96 07-12-1997	31/10/2011
7	कच्छ पोलीमर्स	केएफटीजेड/आईए/1689/97 27/1/1998	31/10/2011
8	लकीस्टार इंटरनेशनल	केएफटीजेड/आईए/1673/96 06-04-1997	31/10/2011
9	न्यू प्लास्टोमर्स इंडिया लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1621/95 20/5/1996	31/10/2011
10	ओसवाल पोलीमर्स	केएफटीजेड/आईए/1704(ए)/9 06-02-1998	31/10/2011
11	प्लास्टो प्रोसेसर्स (अब सनराइज इंटरनेशनल)	केएफटीजेड/आईए/1663/96 12-02-1996	31/10/2011
12	प्लास्टो फाइन इंडस्ट्रीज	केएफटीजेड/आईए/1686/97 27/1/1998	31/10/2011
13	पराशर एंटरप्राइजेज	केएफटीजेड/आईए/1610/95 22/03/1996 22.03.1996	31/10/2011
14	रिन्यू प्लास्टिक्स	केएफटीजेड/आईए/1607/95 25/1/1996	31/10/2011
15	सतगुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1690/97 12-11-1997	31/10/2011
16	शिवम स्क्रैप रिसाइक्लिंग	केएफटीजेड/आईए/1666/96	31/10/2011

	प्राइवेट लिमिटेड	06-08-1997	
17	श्रीजी पोलीमर्स	केएफटीजेड/आईए/1705/97	31/10/2011
		04-02-1998	
18	मोखस्टार इंटरनेशनल	केएफटीजेड/आईए/1657(ए)/96	31/10/2011
		31/12/1996	
19	पोलीरेक प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1542/94 04/10/1994	31/10/2011
		04.10.1994	
20	ऐड पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड	केएफटीजेड/आईए/1592/95 12/10/1995	31/10/2011
		12.10.1995	
21	अनीता एक्सपोर्ट्स	केएएसईजेड/आईए/1628/96	31/10/2011
		15/5/1996	

इन यूनिटों ने बताया है कि सरकारी निदेशों के अनुसार वे अतिरिक्त प्लांट एवं मशीनरी लगाने के लिए तैयार हैं तथा कुछ ने इस संबंध में प्रस्ताव भी दाखिल किया है। तथापि, एक साल के लिए अवधि बढ़ाने से अनिश्चितता पैदा हुई है। अनुरोध किया गया है कि यूनिटों के एलओए की वैधता अवधि 5 साल के लिए बढ़ाने पर विचार किया जाए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 31 अक्टूबर 2011 के बाद 4 साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता बढ़ाने के लिए उपर्युक्त यूनिटों का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****